न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2022/153
मुकदमा नम्बर 50/2022 दायर दिनांक–24.03.2022

1. बिमला पुत्री म्हादी पत्नी लिलाधर
2. राजेश उर्फ राजतिलक पुत्र लीलाधर दत्तक पुत्री म्हादी समस्त जाति नायक निवासीगण कारी,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

– **प्रार्थीगण**

बनाम

1. महाबीर (फौत)
   1/1 ओमप्रकाश पुत्र महाबीर
   1/2 कैलाश चन्द्र पुत्र महाबीर
   1/3 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र महाबीर
   1/4 रामचन्द्र सैनी पुत्र महाबीर
2. सांवरमल
3. केशरदेव पुत्रान श्री जोधा
4. गुमानी पत्नी श्री तुलसा
5. धर्मपाल
6. बंशीधर
7. बाबुलाल पुत्रान श्री तुलसा समस्त जाति नायक निवासीगण कारी तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
8. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कारी, तहसील नवलगढ
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

–अप्रार्थीगण

वकील आवेदक : – श्री मुकेश कुमार पारीक
अनावेदक सं. 1/1 से 1/4 व 1 लगा. 8 –स्वंय उपस्थित (राजीनामा पेश)

<u>प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

:: आदेश ::

दिनांक –19-12-2024

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम कारी पटवार हल्का कारी की सरहद में भूमि खाता सं.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

नया 309 पुराना 282 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 173 रकबा 2.78 है0 में आवागमन के रास्ते हेतु खसरा नं. 171 रकबा 2.69 है0 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 15 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण के खसरा नं. 173 से खसरा नं. 171 से होकर खसरा नं. 2349/171 तक जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। प्रकरण में दौराने सुनवाई ही एक राजीनामा दिनांक 19.12.2024 को इस कदर पेश किया कि पक्षकारान में आपसी सहमति के अनुसार खसरा नं. 171 रकबा 2.6955 है0 में से इस खसरे की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 90 मीटर लम्बाई व 4.5 मीटर चौडाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। राजीनामा उपस्थित सभी पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। सही होने पर सभी ने हस्ताक्षर किये। राजीनामा तस्दिक किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक 463 दिनांक 17.08.2022 पेश हुई है। राजीनामा में भी तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट अनुसार सभी पक्षकारान की सहमति है।

प्रकरण में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक 463 दिनांक 17.08.2022 से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक को अपनी कृषि जोत ख.नं. 173 में आने व जाने के लिये मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व क्रमांक 463 दिनांक 17.08.2022 अनुसार ख.नं. 171 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे के ए से बी बिन्दू ख.नं. 2349/171 कटाणी रास्ता तक 90 मीटर लम्बाई तथा 4.5 मीटर चौडाई का गै.मु. सिवायचक रास्ता कायम कर दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है। रास्ते से प्रभावित ख.नं. 171 के खातेदार काश्तकारों को डीएलसी दर की दोगुनी राशि आवेदकगण से दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावें। पक्षकारान द्वारा दिनांक 19.12.2024 को प्रस्तुत राजीनामा व तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व क्रमांक 463 दिनांक 17.08.2022 उक्त आदेश का भाग होगी।

तहसीलदार नवलगढ, मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद व मौके पर पालना करवाना सुनिश्चित करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 19-12-2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़